फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

कैलाश बनाम एस डी ओ बस्सी

केस संख्या : 180/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
03.09.2024	दरख्वास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन दावा सख्या 145/2024 ब-उनवानी कैलाश बनाम रामगोपाल में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 30.09.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	
30/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। वकील प्रार्थी ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी श्री मुकुट सिंह R.A.S. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है वकील प्रार्थी को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वत: प्रभावशून्य हो गया है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (डॉ० जितेन्द्र कुमार शर्मा) जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	

Scanned with OKEN Scanner